...रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/2/21	वकील फरीकैन उपस्थित। पत्रावली मे विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसला अनुसार होकर नम्बर से कम होकर बाद मीयाद दाखा रहे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.23 17:22:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज)

पीठासीन अधिकारी देवेन्द्रसिंह परमार आर.ए.एस

किस्म मुकदमा

धारा 212 आर.टी.एक्ट

मुन.
6/2005

ता.रजू
19.03.2005

1 बाबू पुत्र मटटू जाति कहार निवासी व्यास पाडा मासलपुर तहसील व जिला करौली
2 मु0 कमला पुत्री मटटू पत्नि माखन जाति कहार निवासी करौली हाल आवाद राजौर तहसील व जिला करौली

—सायलान

बनाम

1 सुनीता पुत्री छोटे नाबालिंग जरिये बली कुदरती माता कान्ता वेवा छोटे जाति कहार निवासी केयर ऑफ बाबू पुत्र मटटू कहार निवासी व्यास पाडा मासलपुर
2 मु0 कान्ता वेवा छोटे जाति कहार निवासी पीलौदा तहसील गंगापुर जिला सवाई माधोपुर
3 उफेद पत्नि भवर जाति कहार निवासी बजीरपुर गेट बाहर करौली तहसील व जिला करौली
4 निरंजन पुत्र बलदेव जाति कहार निवासी बजीरपुर गेट बाहर करौली तहसील व जिला करौली
5 मु0भगो पुत्री बलेदव जाति कहार निवासी बजीरपुर गेट बाहर करौली जिला करौली
6 विमलेश पुत्री बलदेव जाति कहार निवासी बजीरपुर गेट बाहर करौली तहसील व जिला करौली

—गैरसायलान

निर्णय

दिनांक 26.02.2021

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायलान ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वाके ग्राम करौली आराजी खसरा नम्बर 6004,6127,6130 कुल किता 3 कुल रकवा 4 वीधा 17 विस्वा सायलान एवं गैरसायलान की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात है जिसमे वादीगण सायलान का 1/6–1/6 हिस्से के खातेदार काश्त कार है एवं गैरसायलान नम्बर 1 व 2 का 1/6 हिस्सा गैरसायला नम्बर 3 ता 6 का 1/2 हिस्सा है आपस मे सामन्स्य नही बैठ रहा है। एवं आराजी को शामिल काश्त किया जाना सम्भव नही है सायलान ने गैरसायालान से दिनांक 25.02.2005 को बटबारा करने को कहा तो इन्कार हो गये एंव. ऐलानिया धमकी दी है कि दीगर स्टेनजर को वय कर हस्तान्ताकरण कर देंगे और तुम्हे काश्त नही करने देगे इसलिए बटबारा नही होने तक दीगर स्टेनजर को रहन वय कर कब्जा नही दे व सायलान के कब्जे काश्त मे मदाखलत नही करे ना कराये कुछ भूमि डूब मे आ गई है जिसका मुआवजा गैरसायलान अकेले उठाना चाहते है तथा सायलान को मुआवजे की रकम नही लेने देगे गैरसायलान की इस अनधिकार कार्यवाही से सायलान के हको पर आघात है सालयान को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा है इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद पत्र पाबंद किया जावे। अतः प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.23 17:22:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र सायलान दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान को कई अवसर दिये जाने के वाद कोई जबाव प्रार्थना पत्र पेश नही करने पर दिनांक 05.02.2021 को जबाव प्रार्थना पत्र गैरसायलान बंन्द किया गया।

बहस वकील उभय पक्ष सनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

Scanned with CamScanner

वकील सायलान का बहस मे कथन है कि वाद ग्रस्त आराजीयात सायलान व गैरसायलान के सयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसमे सायलान का 1/6 हिस्सा है गैरसायलान का 5/6 हिस्सा है गैरसायलान भूमि को बिना बटबारा कराये दीगर व्यक्तियो को रहन वय करने एवं भूमि के मुआवजा से सायलान को बंचित करने पर उतारू हो रहे और सायलान को काश्त नही करने देने की धमकी दी है जिससे सायलान के हकूक पर आधात सायलान को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा है सायलान गैरसायलान को पाबंद कराने के अधिकारी है प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किया जावे।

वकील गैरसायलान का बहस मे कथन है कि भूमि सायलान व गैरसायलान के संयुक्त खातेदारी की है गैरसायलान को भूमि को विकय करने का अधिकार है और अपने हिस्से की भूमि का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार है प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किया जावे।

बहस वकील उभय पक्षकारान का मनन किया गया। पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबंदी सम्बत 2056 से 2059 मे भूमि वाद ग्रस्त सायलान व गैरसायलान के संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है सायलान को अपने हिस्से की डूब मे गयी भूमि का मुआवजा प्राप्त करने का हक व अधिकार है सायलान के 1/6 हिस्सा भूमि तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने पर सुविधा का सन्तुलन आशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान विरूद्व गैरसायलान आंशिक स्वीकार किया जाता है गैरसायलान को ताफैसला वादपत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 6004,6127,6130 कुल किता 3 कुल रकवा 4 वीधा 17 विस्वा कस्वा करौली पटवार हल्का नम्बर 9 का सायलान के 1/6 हिस्सा की मुआवजा राशि प्राप्त नही करे एवं सायलान के 1/6 हिस्सा को रहन वय नही करे ना किसी अन्य से करावे।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.23 17:22:17 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

Scanned with CamScanner